झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–21/2020– 1585 **व०प०, राँची, दिनांक–** 28.4.2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची–834002।

विषय :– मेसर्स बी0सी0सी0एल0 का कुईया कोलयरी हेतु मौजा–बेरा में कुल 16.49 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–964 दिनांक–06.11.2020, पत्रांक–346 दिनांक–12.02.2021 एवं पत्रांक–310 दिनांक–21.03.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण को प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान करना होगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना खर्च पर Site Specific Wildlife/Biodiversity Conservation Plan तैयार कर इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

(v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
28/4/2023
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–21/2020– 1585 व०प०, राँची, दिनांक– 28.4.2023

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/2023
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–21/2020– 1585 व०प०, राँची, दिनांक– 28.4.2023

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक, बी0सी0सी0एल0, कुईया कोलयरी (गोलुकडीह OCP ऑफिस), धनबाद, झारखण्ड–828111 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/2023
उप परामर्शी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 16.49 ha of Forest Land for Kuya Colliery (OCP) (BCCL) under Dhanbad Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 16.49 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no--1585--- dated--28.4.2023.

28/4/2023

Rajdeep Sanjay Lal John
Additional Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

(30)

OSD

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग
12 FEB 2021
झारखण्ड, राँची

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 346 राँची, दिनांक :– 12/2/2021

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **बी०सी०सी०एल० का कुईया कोलयरी हेतु मौजा–बेरा में कुल 16.49 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक वनभूमि–21/2020–4200 दिनांक 24.12.2020** – पृ०-17/प०
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 318 दिनांक 11.02.2021
3. इस कार्यालय का पत्रांक 290 दिनांक 05.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त वन विभागीय प्रासंगिक पत्र की पृच्छा सं0–2 के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य पत्रांक 318 दिनांक 11.02.2021 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त मंतव्य इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

12/2

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

12-2

939
17/02/2021

प्रधान सचिव कोषांग
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 894
15 FEB 2021
झारखण्ड, राँची

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँचीं

वन भवन, डोरण्डा, राँची

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

पत्रांक : 722 (WL) / 2020–21 318 राँची, दिनांक 11 फरवरी, 2021 ई०

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह –कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय : **BCCL का कुईया कॉलियरी हेतु मौजा–बेरा में 16.49 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग : आपका ज्ञापांक 964, दिनांक 06.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव Open Cast Mining से संबंधित है। इस आलोक में अधोहस्ताक्षरी का यह मंतव्य होगा कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा project cost पर Site Specific Wildlife/Bio-diversity Conservation Plan का निर्माण एवं इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

10/02

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 310 दिनांक :– 21/03/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **बी0सी0सी0एल0 का कुईया कोलयरी हेतु मौजा–बेरा में कुल 16.49 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक वनभूमि–21 / 2020–1864 दिनांक 05.07.2022
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 502 दिनांक 13.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त वन विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा की गयी पृच्छा के अनुपालन में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 502 दिनांक 13.03.2023 द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत् उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक 922 दिनांक 16.11.2022 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही की प्रति प्राप्त हुई है, जिसे तीन प्रतियों इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

21.03.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।